जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 01-07-2021

आज दिनांक 01.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता श्रीनाथ निषाद पुत्र राममूरत निवासी सोनौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 185/ 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री उदयशंकर द्विवेदी, हे0का0 सुशील यादव, हे0का0 देवेन्द्र यादव।

थान धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता आशाराम पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी तेजपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 233/ 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 शातिर गौस्तकरो के विरुद्ध पंजीकृत किया गया गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग

थाना दुधारा पुलिस द्वारा जनपद के शातिर गौतस्कर नाम पता 1- जाकिर हुसैन पुत्र मजहर अली 2- मो0 हुसैन पुत्र मजहर अली निवासीगण बाघनगर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर के विरुद्ध थाना दुधारा पर म0अ0सं0 204/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विदित हो कि जाकिर हुसैन पुत्र मजहर अली गौतस्कर गैंग का गैंग लीडर है एवं इसका एक सुसंगठित एवं अभ्यस्त अपराधिक गिरोह है जो मो0 हुसैन पुत्र मजहर अली के साथ मिलकर गौतस्तकरी करता है तथा इसके विरुद्ध पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत है। उक्त दोनो अभियुक्तों द्वारा समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने का खतरा बना रहता है इनके भय व आतंक से कोई भी इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरता है।

अभियुक्त जाकिर हुसैन व मो0 हुसैन का संयुक्त अपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 21/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।
2- मु0अ0सं0 233/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।
3- मु0अ0सं0 159/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 30 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1484 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>1484</u> को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत सिरसी से इवेन्ट संख्या 06597 से कालर ने किसी बात को लेकर महिला से मारपीट / विवाद होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 राधिका प्रसाद, आ0 रविकान्त कुशवाहा, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 150 वाहनो से 136500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 150 वाहनो से 136500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।